न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री निर्विकार अग्रवाल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी राजयोगी कॉलोनी, दानवाव, तहसील आबूरोड़ व अन्य – 3		श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री सोनसिंह, जाति राजपुत, निवासी आवंली मुदरला, तहसील देलदर व अन्य – 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105/2021

दिनांक 13.07.2022

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम मुदरला, पटवार हल्का आमथला, तहसील देलदर में प्रार्थी संख्या 01 व उसकी पत्नि के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 73/2 कुल क्षेत्रफल 0.3794 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 823/73 कुल क्षेत्रफल 0.1897 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 357/2, 358/2, 359/2 व 75/2 कुल क्षेत्रफल 0.6954 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा प्रार्थी संख्या 04 व उसके अन्य परिवारजन के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 353, 356, 76 कुल क्षेत्रफल 2.1623 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मौके पर भौगोलिक स्थिति अनुसार दो अलग–अलग भागों में टुकड़ों में विभक्त है। मुख्य मार्ग से लगते हुये आगे की ओर अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 77/1 के सामने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की कृषि भूमि स्थित है, जिनके पीछे प्रार्थी संख्या 01 ये 04 की कृषि भूमियां स्थित है, उनके बीच में से प्रार्थीगण की खसरा संख्या 73/2 व 823/73 व 357/2, 358/2, 359/2 व 75/2 में कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थना पत्र मार्ग प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित अपनी–अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342,354,355,374/2 एवं 72 की कृषि भूमि के मध्य में स्थित कदीमी 12 फुट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले करीब 80 वर्षो से निर्बाध रूप से करते आ रहे है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में आवासीय/व्यवसायिक गतिविधी संचालित करने के उद्देश्य से आवागमन अवरूद्ध कर रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर उसमें नींव खोद कर पक्की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन पूर्णतया अवरूद्ध हो गया है, साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 77/1 की कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अपने संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 72 की कृषि भूमि को आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने पर आमदा है।

हमने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषिभूमि के पीछे की ओर प्रार्थीगण की तथाकथित कृषिभूमि नहीं है बल्कि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि के आगे है जो कि पक्षकारान के रहवास आवली, मुदरला से आने वाले मुख्य सी.सी.रोड़ की ओर है अर्थात् गांव से आने वाला जो कदीमी रास्ता है उस रास्ते में पहले प्रार्थीगण की भूमि आती है और अंतिम सिरे पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि आती हैं और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि के अंतिम सिरे उत्तरी कोने से पिण्डवाड़ा तहसील की सरहद प्रारम्भ होकर अन्य लोगों के खेत की भूमि जो कि पिण्डवाड़ा तहसील क्षेत्र में स्थित है जिस अनुसार चूंकि गांव से आने वाले रास्ते के प्रारम्भ में प्रार्थीगण के खेत की भूमि ही

आती है अतः कृषि कार्य करने हेतु व आने जाने हेतु प्रार्थीगण के पास कोई मार्ग उपलब्ध नही होने का कथन सर्वथा मिथ्या है। कि प्राथीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की कृषिभूमि के मध्य में 12 फीट चौड़ा कोई कदीमी रास्ता स्थित नही है। कि प्रार्थीगण जिस कदीमी रास्ते का वर्णन उक्त प्रार्थना पत्र में कर रहे है वह अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि से प्रारम्भ नही होता है बल्कि वो कदीमी रास्ता गांव आवली, मुदरला से प्रारम्भ होकर आता हैं जो प्रार्थीगण व अन्य लोगो के खेतों में से गुजरता है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेतों तक जो खेत पिण्ड्वाड़ा तहसील की सरहद पर स्थित हैं तक आता है अर्थात उक्त गांव आवली, मुदरला के कदीमी रास्ते के अंतिम छोर पर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषिभूमि स्थित है जिसके बाद उत्तर दिशा में पिण्ड्वाड़ा तहसील की सरहद प्रारम्भ हो जाती है। कि अप्रार्थी संख्या 01 अपने खसरा संख्या 77/1 की कृषिभूमि एवं अप्रार्थी संख्याा 01 व 02 अपने संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 72 की कृषिभूमि को आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने पर हालांकि आमादा नहीं है किन्तु यदि अपनी आवश्यकतावश यदि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ऐसा करते भी हैं तो प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार नही है कि वह अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस बाबत किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ऐसा करने से रूकवा सकें । कि प्रार्थीगण का उनकी खातेदारी की भूमि में आने जाने का जो रास्ता कदीम से हैं जिसका उपयोग वे आज भी कर रहे हैं वह रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की खसरा संख्या 77/1 की भूमि और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 342, 354, 355, 374/2 एवं 72 की भूमि के मध्य में से होकर नही गुजरता है। बल्कि प्रार्थीगण की कृषिभूमि के मध्य से गुजरता हुआ आता है जो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत की दक्षिणी सीमा अर्थात प्रार्थीगण के खेत की ओर की सीमा तक आकर खत्म होता है। कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषिभूमि पिण्ड्वाड़ा तहसील की सरहद पर स्थित है, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने रास्ते की किसी भी भूमि पर ना तो नींव खोदकर पक्की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया है और ना ही रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करावें। स्टेट के जवाब के अनुसार मौके पर आवागमन हेतु खसरा संख्या 72 एवं 77/1 के बीच में से पगडंडीनुमा रास्ता चालू है, मौके पर खसरा संख्या 72 एवं 77/1 के द्वारा दोनो के बीच पगडंडीनुमा रास्ता छोड़ते हुए बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य किया हुआ है। कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 73/2, 823/73 एवं 75/2 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में नहीं है।

हमने दिनांक 01.07.2022 को उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम मुदरला, पटवार हल्का आमथला तहसील देलदर में प्रार्थी संख्या 01 व उसकी पत्नि के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 73/2 कुल क्षेत्रफल 0.3794 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 823/73 कुल क्षेत्रफल 0.1897 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 03 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 357/2, 358/2, 359/2 व 75/2 कुल क्षेत्रफल 0.6954 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा प्रार्थी संख्या 04 व उसके अन्य परिवारजन के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा नंबर 353, 356, 76 कुल क्षेत्रफल 2.1623 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। हमारे सामने 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थीगण ने कथन किया कि वे अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में स्थित कदीमी 12 फीट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले करीब 80 वर्षो से करते आ रहे है [illegible] संख्या 01 व 02 ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि से [illegible] रास्ता स्थित नही है बल्कि गावं से कदीमी रास्ता आता है जो पह[illegible] है व उसके अंतिम छोर पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की कृषि[illegible]बाद पिण्ड्वाड़ा तहसील की सरहद प्रारम्भ होती है। प्रार्थीगण पिछले करीब 80 वर्षो से अप्रा[illegible]ण की कृषि भूमि में से कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है यह साबित नही कर पाये। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:30 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का संतुलन :– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकन व कथन किया अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खसरा संख्या 77/1 की एवं खसरा संख्या 72 की खातेदारी कृषि भूमि में अवैध रूप से नींव खोद कर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण नहीं करे व प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन में एवं कृषि

यंत्र ले जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करे लेकिन उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी है और वर्षो से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में से कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है प्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो रहा है।

3. अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये कि अप्रार्थीगण द्वारा उन्हे किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति हो सकती है। क्योंकि उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की है। अतः अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में व्यादेश हेतु तीन शर्ते अपने हक में साबित करने में असफल रहने से साथ ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर स्वयं की खातेदारी न होकर रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा लाना चाहता है जो कि रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.7.22

(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:10:30 IST
Reason: SelfAttested